

SPBahraich के कुशल निर्देशन में, थाना जरवल रोड पुलिस द्वारा धारा 137(2)/87/65 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित नाबालिग लड़की को बहला-फुसला के भगाकर बलात्कार करने वाला 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार ।

नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर भगाकर बलात्कार करने वाला 01 नफर अभियुक्त सम्बन्धित मु0अ0सं0 224/2024 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार थाना जरवल रोड बहराइच ।

दिनांक - 01.09.2024

थाना- जरवल रोड

विवरण:- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान तथा लड झगड कर शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले आरोपियो के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री रामानन्द कुशवाहा व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय कैसरगंज श्री अनिल कुमार सिंह के निर्देशन में थानाध्यक्ष श्री बृजराज प्रसाद के कुशल नेतृत्व मे 30नि0 रंजीत भारती मय हमराह का0 दिग्विजय यादव, का0 कृष्ण मोहन चौरसिया,का0 विकास कुमार द्वारा मु0अ0सं0 224/2024 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राजू यादव (उम्र करीब 20 वर्ष) पुत्र मनीराम निवासी ग्राम जमथरा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को आज दिनांक 01.09.2024 को समय 10.10 बजे मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी आदेशो-निर्देशो का अक्षरशः पालन करते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु पुलिस सुरक्षा में भेजा गया ।

विवरण अभियुक्त:-

1.राजू यादव पुत्र मनीराम उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम जमथरा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तारी टीम:-

1. 30नि0 श्री रंजीत भारती 2.का0 दिग्विजय यादव 3.का0 कृष्ण मोहन चौरसिया 4.का0 विकास कुमार थाना जरवल रोड जनपद बहराइच

फोटो



■ दुष्कर्म के दो आरोपी गिरफ्तार

जरवलरोड/विशेश्वरगंज(बहराइच)। थाना पुलिस ने किशोरी को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी गोंडा जनपद के कौड़िया जमथरा निवासी राजू यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं विशेश्वरगंज पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी झुरीकुईयां मजरा रामचक्का निवासी हरिश्चंद्र गोस्वामी को पकड़ लिया। (संवाद)